



147/286

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
(MINISTRY OF EDUCATION, GOVERNMENT OF INDIA)

CERTIFICATE

THIS IS TO CERTIFY THAT VIDE ORDER DATED 26TH DAY OF OCTOBER, 2023 PASSED BY THIS COMMISSION IN CASE NO. 57 OF 2020 (QUADERIA BURHANI ENGLISH HR. SEC. SCHOOL, ITWARA MAIN ROAD, TEHSIL BURHANPUR, KHANDWA DISTRICT, MADHYA PRADESH-450331 VS SECRETARY, BACKWARD CLASSES AND MINORITY WELFARE DEPARTMENT, GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH) QUADERIA BURHANI ENGLISH HR. SEC. SCHOOL, AN UNAIDED INSTITUTION (HIGHER SECONDARY LEVEL) RUN BY QUADERIA EDUCATIONAL AND CULTURAL SOCIETY (NGO DARPAN UNIQUE ID: MP/2018/0183295) HAS BEEN DECLARED AS A MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTION COVERED UNDER SECTION 2(g) OF THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ACT, 2004 WITH THE MAIN OBJECTIVE OF SUB-SERVING THE INTEREST OF THE MUSLIM COMMUNITY.

GIVEN UNDER MY HAND AND THE SEAL OF THE COMMISSION ON THIS 14TH DAY OF NOVEMBER, 2023.

(MANOJ KUMAR KEJREWAL)
SECRETARY

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि 2020 के वाद संख्या 57 (क्वाडेरिया बुरहानी अंग्रेजी हायर सेकेंडरी स्कूल, इतवारा मेन रोड, तहसील बुरहानपुर, खंडवा जिला, मध्य प्रदेश-450331 बनाम सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार) में आयोग द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 को पारित आदेश के अनुसार क्वाडेरिया बुरहानी अंग्रेजी हायर सेकेंडरी स्कूल, एक सहायता रहित संस्थान (उच्चतर माध्यमिक स्तर) जो कि क्वाडेरिया एजुकेशनल एंड कल्चरल सोसायटी (एनजीओ दर्पण यूनिक आईडी: MP/2018/0183295) द्वारा संचालित है, को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 2(g) के अन्तर्गत एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समुदाय का हितसाधन करना है।

मेरे हस्ताक्षर और आयोग की मुहर के तहत दिनांक 14 नवंबर, 2023 को दिया गया।



(Principal)
Principal
Quaderia Burhani School
Burhanpur (M.P.)

(मनोज कुमार केजरीवाल)
सचिव